Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X **Pg. 26-33**

अनिवार्य मतदान हेतु चुनाव आयोग की विधिक संभावनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन

Vijay kumar
Research scholar IIMTU
Dr. Ashutosh Anand
Assistant Professor IIMTU

Accepted: 18/12/2025
Published: 30/12/2025 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.18100894*

सारांश

लोकतंत्र की सुदृढ़ता नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता पर निर्भर करती है, जिसमें मतदान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में मतदान का अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक स्वतंत्रता है, किंतु व्यवहार में निम्न मतदान प्रतिशत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसी संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य मतदान से संबंधित चुनाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक सहभागिता को सशक्त बनाना है। प्रस्तुत शोध पत्र चुनाव आयोग के अनिवार्य मतदान संबंधी सुझावों की विधिक संभावनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन करता है।

यह अध्ययन भारतीय संविधान के प्रावधानों, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान के अधिकार एवं नागरिक कर्तव्यों के आलोक में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह शोध न्यायिक निर्णयों, चुनाव आयोग की रिपोर्टों तथा उपलब्ध साहित्य के माध्यम से अनिवार्य मतदान के पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करता है। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि अनिवार्य मतदान नागरिक स्वतंत्रता और राज्य द्वारा थोपे गए दायित्व के बीच संतुलन की जटिल संवैधानिक बहस को जन्म देता है। अंततः शोध निष्कर्ष इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि भारत में अनिवार्य मतदान की विधिक संभावनाएँ सीमित हैं और इसके क्रियान्वयन से पूर्व व्यापक संवैधानिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक सुधारों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द :- *अनिवार्य मतदान, चुनाव आयोग , भारतीय संविधान, लोकतंत्र, मतदान अधिकार, संवैधानिक वैधता*

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है और नागरिकों की सहभागिता ही इसकी आत्मा मानी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक किस हद तक शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस सहभागिता का सबसे सशक्त और संस्थागत माध्यम मतदान है, जिसके द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से शासन की दिशा और नीतियों को प्रभावित करते हैं। मतदान केवल एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना, नागरिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक भी है। जब नागरिक मतदान में भाग लेते हैं, तब वे न केवल अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, बल्कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में भी योगदान देते हैं।

लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता की अवधारणा केवल मतदान तक सीमित नहीं है, किंतु मतदान वह न्यूनतम और अनिवार्य प्रक्रिया है जो नागरिकों को शासन से जोड़ती है। राजनीतिक विमर्श, जन आंदोलनों, सार्वजनिक बहसों और नीति निर्माण में भागीदारी नागरिक सहभागिता के अन्य रूप हैं, परंतु मतदान वह आधार है जिस पर संपूर्ण प्रतिनिधि लोकतंत्र की संरचना टिकी हुई है। इसी कारण लोकतांत्रिक सिद्धांतकारों ने मतदान को 'लोकतंत्र की प्राणवायु' की संज्ञा दी है। इसके बावजूद, यदि नागरिक मतदान से दूरी बनाए रखते हैं, तो लोकतंत्र की वैधता और प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद भारत में मतदान प्रतिशत में क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों, शिक्षित वर्गों और युवा मतदाताओं में अपेक्षाकृत कम मतदान एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। कई चुनावों में यह देखा गया है कि मतदाता पंजीकरण के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक मतदान में भाग नहीं लेते। इसके पीछे राजनीतिक उदासीनता, व्यवस्था के प्रति अविश्वास, उम्मीदवारों की गुणवत्ता को लेकर असंतोष, मतदान प्रक्रिया में व्यावहारिक कठिनाइयाँ तथा सामाजिक-आर्थिक कारण प्रमुख हैं। कम मतदान प्रतिशत न केवल लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है, बल्कि निर्वाचित सरकारों की नैतिक वैधता पर भी प्रश्न उठाता है।

इन चुनौतियों के संदर्भ में अनिवार्य मतदान की अवधारणा एक वैकल्पिक उपाय के रूप में उभरती है। अनिवार्य मतदान का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक पंजीकृत मतदाता के लिए चुनाव में मतदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है और इसके उल्लंघन पर दंड या दायित्व का प्रावधान किया जाता है। विश्व के कई देशों, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ब्राज़ील, में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है, जहाँ इसके परिणामस्वरूप मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है। इन देशों में यह तर्क दिया जाता है कि अनिवार्य मतदान नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाता है, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करता है और प्रतिनिधित्व को अधिक व्यापक बनाता है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर यह अवधारणा विवादास्पद भी रही है, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि मतदान को बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध है।

भारत में भी समय-समय पर अनिवार्य मतदान को लेकर बहस होती रही है। इस संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग ने विभिन्न अवसरों पर मतदान सुधारों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य मतदान पर दिए गए सुझावों का उद्देश्य लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करना और घटते मतदान प्रतिशत की समस्या का समाधान खोजना रहा है। आयोग ने यह विचार किया कि क्या मतदान को केवल अधिकार के रूप में देखने के बजाय उसे नागरिक कर्तव्य के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। साथ ही, आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि अनिवार्य मतदान की किसी भी व्यवस्था को भारतीय संविधान के मूल ढाँचे, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए।

इसी पृष्ठभूमि में यह शोध शोध समस्या के कथन को केंद्र में रखता है कि—क्या भारत में अनिवार्य मतदान को विधिक रूप से लागू करना संभव है और क्या चुनाव आयोग के चुनाव संवैधानिक कसौटियों पर खरे उतरते हैं? यह समस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का संविधान मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, न कि मौलिक अधिकार के रूप में। इसके अतिरिक्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 'मत न देने का अधिकार' भी न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुआ है। ऐसे में अनिवार्य मतदान की अवधारणा नागरिकों की स्वायत्तता, स्वतंत्र इच्छा और लोकतांत्रिक विकल्पों से सीधे टकराती प्रतीत होती है।

इस अध्ययन का औचित्य एवं प्रासंगिकता वर्तमान लोकतांत्रिक चुनौतियों के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक ओर जहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिक सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा भी संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। अनिवार्य मतदान पर चुनाव आयोग के चुनाव इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, किंतु उनकी विधिक व्यवहारिकता और संवैधानिक वैधता का समालोचनात्मक परीक्षण आवश्यक है। यह शोध न केवल चुनाव आयोग के सुझावों का विश्लेषण करता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में सुधार की संभावनाओं पर एक व्यापक विमर्श भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन विधि, संविधान और लोकतंत्र के अंतर्संबंध को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

शोध प्रश्न

1. क्या भारत में अनिवार्य मतदान संविधान के मूल ढाँचे के अनुरूप है?

2. अनिवार्य मतदान संबंधी चुनाव आयोग के सुझावों का विधिक आधार क्या है?
3. क्या अनिवार्य मतदान नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है?
4. भारत में अनिवार्य मतदान लागू करने में संभावित संवैधानिक एवं विधिक बाधाएँ क्या हैं?
5. अनिवार्य मतदान लोकतांत्रिक सहभागिता को किस सीमा तक सुदृढ़ कर सकता है?

शोध उद्देश्य

1. अनिवार्य मतदान की अवधारणा का विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण करना
2. चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना
3. भारतीय संविधान के अंतर्गत मतदान के अधिकार एवं कर्तव्य की स्थिति का अध्ययन करना
4. अनिवार्य मतदान से संबंधित न्यायिक दृष्टांतों का विश्लेषण करना
5. भारत में अनिवार्य मतदान की व्यवहारिक संभावनाओं का आकलन करना

2. साहित्य समीक्षा

2.1 मतदान अधिकार एवं लोकतंत्र पर उपलब्ध विधिक साहित्य का अवलोकन

मतदान अधिकार को लोकतंत्र की आधारशिला माना गया है। विधिक साहित्य में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि मतदान नागरिकों को शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। कई विद्वानों ने मतदान को केवल एक अधिकार न मानकर लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के रूप में भी व्याख्यायित किया है (शर्मा, 2017)। भारतीय संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को लोकतांत्रिक समानता का प्रतीक माना गया है (वर्मा, 2019)। वहीं कुछ चुनाव आयोग विशेषज्ञों का मत है कि मतदान का अधिकार विधिक है, न कि मौलिक, और इसलिए इसे राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है (सिंह, 2020)। लोकतंत्र पर उपलब्ध साहित्य यह भी इंगित करता है कि कम मतदान प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर करता है (गुप्ता, 2018)।

2.2 चुनाव आयोग की रिपोर्टों और सिफारिशों का विश्लेषण

भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों में मतदान प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। विशेष रूप से, चुनाव आयोग ने अनिवार्य मतदान के विचार को नागरिक सहभागिता बढ़ाने के एक संभावित उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है (चुनाव आयोग , 2015)। आयोग का मत है कि लोकतंत्र में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी महत्व है और मतदान को नागरिक कर्तव्य के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनिवार्य मतदान लागू करने से पूर्व इसके संवैधानिक प्रभावों और मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन परीक्षण आवश्यक है (चुनाव आयोग, 2016)। साहित्य में यह पाया गया है कि आयोग की सिफारिशें अधिकतर वैचारिक हैं और उनके क्रियान्वयन हेतु ठोस विधिक ढाँचे का अभाव है (मिश्रा, 2021)।

2.3 भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा अनिवार्य मतदान पर किए गए अध्ययन

अनिवार्य मतदान पर भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। विदेशी विद्वानों ने ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे देशों के उदाहरणों के माध्यम से यह तर्क दिया है कि अनिवार्य मतदान से मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है (लिज़ार्टो, 2016)। इसके विपरीत, कुछ विद्वानों का मानना है कि अनिवार्य मतदान नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा के विपरीत है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है (हिल, 2018)। भारतीय विद्वानों ने अनिवार्य मतदान को भारतीय सामाजिक-आर्थिक संरचना के संदर्भ में जटिल माना है और इसे व्यवहारिक रूप से कठिन बताया है (चौधरी, 2019)। अधिकांश भारतीय अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जागरूकता और शिक्षा अनिवार्यता से अधिक प्रभावी साधन हो सकते हैं (कुमार, 2020)।

2.4 न्यायालयों के निर्णयों एवं संवैधानिक व्याख्याओं की समीक्षा

न्यायिक निर्णयों ने मतदान के अधिकार की प्रकृति को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में यह प्रतिपादित किया है कि मतदान का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक विधिक अधिकार है, जिसे संसद द्वारा विनियमित किया जा सकता है (भारत निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार, 2000)। साथ ही, न्यायालयों ने यह भी स्वीकार किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 'मत न देने का अधिकार' भी निहित है (पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ, 2013)। साहित्य में यह तर्क दिया गया है कि इन न्यायिक व्याख्याओं के आलोक में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक वैधता संदिग्ध हो जाती है (मेहता, 2022)।

2.5 वर्तमान साहित्य में विद्यमान शोध-अंतराल की पहचान

उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन या तो अनिवार्य मतदान के सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित हैं या फिर विदेशी अनुभवों का सामान्य विवरण प्रस्तुत करते हैं। चुनाव आयोग के सुझावों की समालोचनात्मक विधिक समीक्षा, विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में, अपेक्षाकृत सीमित है। इसके अतिरिक्त, मौलिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और राज्य के दायित्व के बीच संतुलन के प्रश्न पर समग्र अध्ययन का अभाव पाया जाता है। अतः यह शोध इन अंतरालों को भरने का प्रयास करता है और चुनाव आयोग के अनिवार्य मतदान

संबंधी सुझावों की विधिक संभावनाओं का गहन एवं आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध *"अनिवार्य मतदान हेतु चुनाव आयोग की विधिक संभावनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन"* एक विधिक-संवैधानिक प्रकृति का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य अनिवार्य मतदान से संबंधित चुनाव आयोग की सिफारिशों की संवैधानिक वैधता, विधिक व्यवहारिकता तथा लोकतांत्रिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। इस शोध में अनुभवजन्य आँकड़ों के स्थान पर विधिक ग्रंथों, संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं का विश्लेषण किया गया है, जिससे यह अध्ययन सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप ग्रहण करता है।

इस शोध में गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि अध्ययन का केंद्रबिंदु विधिक अवधारणाएँ, संवैधानिक सिद्धांत और न्यायिक विवेचनाएँ हैं। गुणात्मक पद्धति के माध्यम से मतदान अधिकार, नागरिक कर्तव्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अमूर्त विधिक सिद्धांतों की गहन व्याख्या की गई है। शोध में वर्णनात्मक एवं समालोचनात्मक दोनों दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है, जिससे विषय के पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों का संतुलित मूल्यांकन संभव हो सके।

डेटा के स्रोत

इस शोध में **प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों** का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोतों में भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 और 326, चुनाव आयोग की रिपोर्टें, संसद द्वारा बनाए गए चुनाव संबंधी कानून तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सम्मिलित हैं। इन स्रोतों के माध्यम से अनिवार्य मतदान की विधिक स्थिति और संवैधानिक व्याख्या को समझने का प्रयास किया गया है।

द्वितीयक स्रोतों में चुनाव आयोग एवं राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, शोध पत्रिकाएँ, जर्नल लेख, सम्मेलन पत्र, समाचार पत्रों में प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेख तथा ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधन शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों का उपयोग विषय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और विद्वानों के दृष्टिकोण को समझने हेतु किया गया है।

शोध चुनाव आयोग

शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक चुनाव आयोग के अंतर्गत अनिवार्य मतदान, चुनाव आयोग के सुझावों और न्यायिक निर्णयों का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। वहीं विश्लेषणात्मक चुनाव आयोग के माध्यम से इन तथ्यों की संवैधानिक वैधता, विधिक सीमाओं और लोकतांत्रिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीमित स्तर पर तुलनात्मक चुनाव आयोग का भी उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत विदेशी देशों में लागू अनिवार्य मतदान की प्रणालियों का संक्षिप्त अध्ययन कर उनकी भारतीय संदर्भ में उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया है।

डेटा विश्लेषण की विधि

संकलित सामग्री का विश्लेषण विधिक व्याख्या, न्यायिक दृष्टांतों की समीक्षा तथा संवैधानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से किया गया है। चुनाव आयोग की सिफारिशों की तुलना मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से की गई है, जिससे उनके व्यावहारिक और विधिक प्रभावों का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

अध्ययन की सीमाएँ

यह शोध मुख्यतः सैद्धांतिक एवं विधिक विश्लेषण पर आधारित है, अतः इसमें प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण या सांख्यिकीय आँकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी देशों में अनिवार्य मतदान के अनुभवों का अध्ययन केवल तुलनात्मक संदर्भ हेतु सीमित रूप में किया गया है। तथापि, इन सीमाओं के बावजूद यह शोध अनिवार्य मतदान पर चुनाव आयोग के सुझावों की विधिक संभावनाओं को समझने में एक सार्थक अकादमिक योगदान प्रस्तुत करता है।

4.1 डेटा का प्रस्तुतीकरण

प्रस्तुत शोध में डेटा का प्रस्तुतीकरण अध्ययन के उद्देश्य और प्रकृति के अनुरूप विधिक एवं दस्तावेज़ीय स्रोतों पर आधारित है। चूँकि यह शोध अनिवार्य मतदान से संबंधित चुनाव आयोग के सुझावों की विधिक संभावनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन है, इसलिए इसमें अनुभवजन्य अथवा सांख्यिकीय डेटा के स्थान पर प्रामाणिक विधिक सामग्री को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। डेटा का सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण आगे किए गए विश्लेषण और निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

डेटा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को अध्ययन का आधार बनाया गया है। इस प्रावधान के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में मतदान का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। साथ ही, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों को भी डेटा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मतदान, मत न देना और NOTA जैसे विकल्प इसी स्वतंत्रता की व्याख्या से जुड़े हुए हैं।

डेटा का दूसरा प्रमुख स्रोत भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्टें हैं। चुनाव सुधारों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों को क्रमबद्ध रूप में संकलित किया गया है। विशेष रूप से अनिवार्य मतदान से संबंधित आयोग के विचारों, तर्कों और सावधानियों को डेटा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा मतदान को नागरिक कर्तव्य के रूप में देखने की अवधारणा तथा इसके संभावित लाभों और चुनौतियों को व्यवस्थित रूप से शामिल किया गया है। यह

प्रस्तुतीकरण आयोग की सोच और दृष्टिकोण को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

तीसरा महत्वपूर्ण डेटा स्रोत न्यायिक निर्णय हैं। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए उन निर्णयों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें मतदान के अधिकार की प्रकृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनावी प्रक्रिया और नागरिक स्वतंत्रताओं की व्याख्या की गई है। विशेष रूप से वे निर्णय, जिनमें मतदान को विधिक अधिकार माना गया है तथा 'मत न देने के अधिकार' को मान्यता दी गई है, शोध डेटा का अभिन्न अंग हैं। इन निर्णयों का प्रस्तुतीकरण यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त, डेटा के रूप में द्वितीयक विधिक साहित्य को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, जर्नल लेखों और विद्वानों के विश्लेषणात्मक लेख शामिल हैं। इन स्रोतों के माध्यम से मतदान अधिकार, लोकतंत्र और अनिवार्य मतदान पर विद्यमान विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया गया है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कुछ विदेशी देशों में अनिवार्य मतदान से संबंधित जानकारी को भी डेटा के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रस्तुतीकरण सीमित होते हुए भी भारतीय संदर्भ में अनिवार्य मतदान की संभावनाओं और सीमाओं को समझने में सहायक रहा है। इस प्रकार, डेटा का प्रस्तुतीकरण बहु-आयामी है, जो संवैधानिक, विधिक, न्यायिक और तुलनात्मक स्रोतों को समाहित करते हुए शोध के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

4.2 डेटा का विश्लेषण

संकलित डेटा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संवैधानिक ढाँचा मतदान को एक विधिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है, जिसे संसद द्वारा विनियमित किया जा सकता है, किंतु यह अधिकार पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में नहीं है। न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि मतदान का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत नागरिक को मत देने या न देने का विकल्प प्राप्त है।

चुनाव आयोग की रिपोर्टों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि आयोग ने अनिवार्य मतदान को लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाने के एक साधन के रूप में प्रस्तावित किया है। आयोग का तर्क है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि उसमें नागरिक कर्तव्यों की भी भूमिका होती है। तथापि, विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि आयोग की सिफारिशों में अनिवार्य मतदान को लागू करने की विधिक प्रक्रिया, दंडात्मक ढाँचा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर पर्याप्त स्पष्टता का अभाव है।

विदेशी अनुभवों के विश्लेषण से यह सामने आता है कि अनिवार्य मतदान से मतदान प्रतिशत में वृद्धि अवश्य हुई है, किंतु इससे नागरिकों की राजनीतिक चेतना स्वतः नहीं बढ़ी है। कई मामलों में मतदान केवल औपचारिक कर्तव्य बनकर रह गया है। भारतीय संदर्भ में इन अनुभवों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विविधताओं के कारण अनिवार्य मतदान की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।

तालिका 1 : भारत में हालिया लोकसभा चुनावों का मतदान प्रतिशत (2009–2024)

क्रम संख्या	लोकसभा चुनाव वर्ष	कुल मतदान प्रतिशत (%)	प्रमुख टिप्पणी
1	2009	58.2	शहरी मतदाताओं में अपेक्षाकृत कम भागीदारी
2	2014	66.4	राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया प्रभाव
3	2019	67.4	अब तक का उच्चतम मतदान
4	2024	**65.8**	गर्मी, शहरी उदासीनता और प्रवासी मतदाता प्रभाव

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (अनंतिम/अंतिम आँकड़े, 2024)

तालिका 1 की व्याख्या

तालिका 1 में भारत में **हालिया लोकसभा चुनावों (2009–2024)** के मतदान प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है, जिससे देश में मतदाता सहभागिता के बदलते रुझानों को समझा जा सकता है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 58.2% रहा, जो यह दर्शाता है कि उस समय शहरी क्षेत्रों और युवा मतदाताओं में राजनीतिक सहभागिता अपेक्षाकृत कम थी। यह स्थिति लोकतांत्रिक उदासीनता और व्यवस्था के प्रति सीमित विश्वास को प्रतिबिंबित करती है।

2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होकर 66.4% तक पहुँच गया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण, नेतृत्व-केंद्रित चुनाव प्रचार तथा सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का व्यापक प्रभाव माना जाता है। 2019 में यह प्रवृत्ति और सशक्त हुई तथा मतदान प्रतिशत 67.4% के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो नागरिकों की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है।

हालाँकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत घटकर 65.8% रह गया। यह गिरावट यह संकेत देती है कि मतदान में वृद्धि स्थायी नहीं है। भीषण गर्मी, शहरी मतदाताओं की उदासीनता, प्रवासी श्रमिकों की व्यावहारिक कठिनाइयाँ तथा चुनावी थकान जैसे कारकों ने मतदान पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

इस प्रकार, तालिका 1 यह स्पष्ट करती है कि भारत में मतदान प्रतिशत समय-समय पर बढ़ा है, किंतु यह वृद्धि अस्थिर रही है। यही तथ्य अनिवार्य मतदान की बहस को आधार प्रदान करता है, साथ ही यह भी संकेत देता है कि केवल बाध्यता के बजाय संरचनात्मक और विश्वास-आधारित सुधार अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

4.3 निष्कर्षों की चर्चा

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों की चर्चा से यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि भारत में अनिवार्य मतदान की अवधारणा केवल एक प्रशासनिक या चुनावी सुधार का विषय नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अध्ययन से यह तथ्य स्थापित होता है कि मतदान को अनिवार्य बनाने का विचार प्रथम दृष्टया लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाने का एक प्रभावी उपाय प्रतीत होता है, किंतु इसके विधिक और संवैधानिक निहितार्थ अत्यंत जटिल हैं।

शोध निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान मतदान को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। इस आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि विधायिका को मतदान प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। तथापि, न्यायिक व्याख्याओं ने मतदान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए यह स्थापित किया है कि नागरिक को मत देने अथवा मत न देने, दोनों का विकल्प प्राप्त है। इस संदर्भ में अनिवार्य मतदान नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा और राजनीतिक निष्क्रियता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अतः अध्ययन यह संकेत देता है कि अनिवार्य मतदान का विचार संविधान के उदार और स्वतंत्रतावादी स्वरूप से टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है।

चुनाव आयोग के सुझावों की चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि आयोग का दृष्टिकोण लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की भावना से प्रेरित है। आयोग ने मतदान को नागरिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जिससे यह धारणा उभरती है कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की पूर्ति भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। किंतु शोध निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों में अनिवार्य मतदान के क्रियान्वयन से संबंधित विधिक ढाँचे, दंडात्मक प्रावधानों और अपवादों को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। इस अस्पष्टता के कारण अनिवार्य मतदान की व्यवहारिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

विदेशी देशों में अनिवार्य मतदान के अनुभवों की चर्चा से यह तथ्य सामने आता है कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि को लोकतांत्रिक चेतना की वृद्धि के समान नहीं माना जा सकता। कई देशों में नागरिक केवल दंड से बचने के लिए मतदान करते हैं, जिससे मतदान एक औपचारिक दायित्व बनकर रह जाता है। भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, शिक्षा स्तर और राजनीतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए यह संभावना और भी प्रबल हो जाती है कि अनिवार्य मतदान वास्तविक लोकतांत्रिक सहभागिता के स्थान पर केवल संख्यात्मक वृद्धि तक सीमित रह सकता है।

अध्ययन की चर्चा यह भी रेखांकित करती है कि भारत में मतदान न करने के पीछे कारण केवल उदासीनता नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था के प्रति अविश्वास, राजनीतिक विकल्पों की कमी और शासन की जवाबदेही से जुड़ी समस्याएँ भी हैं। ऐसे में अनिवार्य मतदान इन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसके विपरीत, यह नागरिकों और राज्य के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

इस प्रकार, शोध निष्कर्षों की समग्र चर्चा यह स्पष्ट करती है कि भारत में अनिवार्य मतदान को लागू करने की विधिक संभावनाएँ सीमित हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नागरिकों पर बाध्यता थोपने के बजाय, राजनीतिक जागरूकता, पारदर्शिता, चुनावी सुधार और नागरिक विश्वास को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यही दृष्टिकोण भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की भावना के अधिक अनुरूप प्रतीत होता है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध *"अनिवार्य मतदान हेतु चुनाव आयोग की विधिक संभावनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन"* के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अनिवार्य मतदान का प्रश्न केवल चुनावी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि मतदान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिक सहभागिता लोकतांत्रिक शासन की वैधता एवं प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य है। तथापि, मतदान में कमी की समस्या का समाधान अनिवार्य मतदान के माध्यम से किया जाना संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से जटिल प्रतीत होता है।

शोध निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान मतदान को एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जबकि न्यायिक व्याख्याओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए 'मत न देने के अधिकार' को भी स्वीकार किया है। इस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य मतदान नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा और लोकतांत्रिक स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चुनाव आयोग के चुनाव लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रेरित अवश्य हैं, किंतु उनमें क्रियान्वयन, दंडात्मक प्रावधानों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्पष्टता का अभाव है।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि विदेशी देशों में अनिवार्य मतदान के सकारात्मक परिणामों को भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में यथावत लागू नहीं

किया जा सकता। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में अनिवार्य मतदान से संख्यात्मक सहभागिता तो बढ़ सकती है, किंतु इससे वास्तविक लोकतांत्रिक चेतना और राजनीतिक उत्तरदायित्व का विकास सुनिश्चित नहीं होता। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में अनिवार्य मतदान की विधिक संभावनाएँ सीमित हैं और इसे लागू करने से पूर्व व्यापक संवैधानिक विमर्श और सामाजिक तैयारी की आवश्यकता है।

5.2 सुझाव

1. **मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार**
   अनिवार्य मतदान के स्थान पर नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना विकसित करने हेतु व्यापक मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, विशेषकर युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच।
2. **चुनावी सुधार और पारदर्शिता**
   राजनीतिक दलों की जवाबदेही, उम्मीदवारों की पारदर्शिता और चुनावी खर्च पर नियंत्रण जैसे सुधार मतदान में विश्वास बढ़ाने में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।
3. **चुनाव आयोग की सिफारिशों में पुनर्विचार**
   चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य मतदान पर दिए गए सुझावों को संवैधानिक सीमाओं और न्यायिक व्याख्याओं के आलोक में पुनः परिष्कृत किया जाना चाहिए।
4. **वैकल्पिक प्रोत्साहन आधारित मॉडल**
   मतदान को बाध्यकारी बनाने के बजाय प्रोत्साहन आधारित उपाय, जैसे सार्वजनिक सेवाओं में सुविधा या नागरिक सम्मान, पर विचार किया जा सकता है।
5. **भविष्य के शोध हेतु दिशा**
   भविष्य में अनुभवजन्य अध्ययनों के माध्यम से मतदान में कमी के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिससे अधिक व्यावहारिक नीतियाँ विकसित की जा सकें।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान. (**1950**). भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार, (**2000**) **8** एस.सी.सी. **216**।
3. चौधरी, एन. (**2019**). अनिवार्य मतदान: एक आलोचनात्मक अध्ययन. *भारतीय चुनाव आयोग समीक्षा*, **8(1), 78–92**।
4. गुप्ता, आर. (**2018**). भारत में मतदान व्यवहार और लोकतांत्रिक सहभागिता. *भारतीय राजनीति अध्ययन जर्नल*, **12(2), 45–60**।
5. हिल, एल. (**2018**). **Compulsory voting and democracy: Political participation reconsidered.** *इलेक्टोरल स्टडीज़*, **54, 1–10**।
6. कुलदीप नायर बनाम भारत संघ, (**2006**) **7** एस.सी.सी. **1**।
7. कुमार, ए. (**2020**). लोकतंत्र में मतदान का अधिकार बनाम कर्तव्य. *नेशनल लॉ जर्नल*, **5(3), 101–115**।
8. लिज़फार्ट, ए. (**2016**). **Unequal participation: Democracy's unresolved dilemma.** *अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू*, **91(1), 1–14**।
9. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. (**2015**). *इलेक्टोरल रिफॉर्म्स* (रिपोर्ट संख्या **255**). भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. (**2016**). *कम्पल्सरी वोटिंग* (चर्चा पत्र). भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. मेहता, पी. बी. (**2022**). **Democracy, participation and constitutional freedoms in India.** *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, **57(10), 23–28**।
12. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) बनाम भारत संघ, (**2013**) **10** एस.सी.सी. **1**।
13. पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च. (**2023**). भारत में मतदान अधिकार एवं चुनावी सुधार. **https://prsindia.org**
14. प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951**. भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. शर्मा, बी. के. (**2017**). *भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली*. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
16. वर्मा, एस. के. (**2019**). *संवैधानिक चुनाव आयोग के सिद्धांत*. ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।
17. ऑस्टिन, जी. (**2014**). *भारतीय संविधान: एक जीवंत दस्तावेज़*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

18. भारत निर्वाचन आयोग. (**2024**). मतदाता मतदान प्रतिशत से संबंधित आँकड़े. https://eci.gov.in

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****